संख्या-20/2023/605/23-2-23-43(सा0)/2021

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई,2023

विषय:- जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे किमी 149/10-11 पर सम्पार संख्या-75ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाड़ा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2092बीजी/भूमि अध्याप्ति/2023-24, दिनांक 11.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-6/2023/136/23-2-23-43(सा0)/21, दिनांक 24.03.2023 द्वारा रू0 5566.00 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर दी गयी सहमति को अवक्रमित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे किमी 149/10-11 पर सम्पार संख्या-75ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाड़ा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित लागत रू0 5566.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ छाछठ लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जोयगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022,दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2. उक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371320 मार्ग एवं लघु सेतु के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 60 भूमि क्रय से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-360-एक्स-2023-24, दिनांक- 20 जुलाई, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या-20/2023/605(1)/23-2-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रयागराज।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (नियोजन), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, प्रयागराज।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजय प्रकाश मौर्य
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।